



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032021-226046
CG-DL-E-23032021-226046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1179]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943

No. 1179]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2021

का.आ. 1272(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कोकराझार में कोकराझार, चिरांग एवं बक्सा जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड की जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी-गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन (बी जी पी एल) परियोजना के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री नरेन चौ. बासुमतारी, ए सी एस, सचिव, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कोकराझार को श्री भवानी प्रसाद शर्मा, ए सी एस, सचिव, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कोकराझार के स्थान पर अतिरिक्त प्रभार के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/101/2017-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2021

S.O. 1272(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Naren Ch. Basumatary, ACS, Secretary, Bodoland Territorial Council, Kokrajhar vice Shri Bhawani Prasad Sharma, ACS, Secretary, Bodoland Territorial Council, Kokrajhar to perform the functions of Competent Authority on additional charge basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Barauni-Guwahati Natural Gas Pipeline (BGPL) Project as an integral part of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) Project of GAIL (India) Limited for the areas falling under District- Kokrajhar, Chairang and Baksa in the Bodoland Territorial Council, Kokrajhar.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/101/2017-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.